भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या – 26
(जिसका उत्तर मंगलवार, 08 जुलाई, 2014 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीके

***26. डा. आर. लक्ष्मणन :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कंपनियां कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से बचने के लिए गुप्त तौर-तरीके अपना रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कंपनियों की ऐसी चालों/तौर-तरीकों की पहचान की है और क्या उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीके" से संबंधित दिनांक 08 जुलाई, 2014 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के उपबंध हाल ही अर्थात् दिनांक 01.04.2014 से लागू हुए हैं। अतः, सामान्यतया कंपनियां सीएसआर समितियों की स्थापना और इन समितियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियां तैयार करने तथा बोर्ड द्वारा उनका अनुमोदन करने जैसे सीएसआर क्रियाकलाप शुरू करने की प्रारंभिक अवस्था में हैं। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का कोई मामला सरकार के जानकारी में नहीं आया है।

*****